मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 80 सन 2020
(2020/00131)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28.7.2021 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित आवाज लगवाई गई। उपस्थित नहीं हुए। विपक्षीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गयी।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन कर अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर गहनता से मनन किया। प्रार्थीगण मौजा मिश्रों की पिपली प.ह. ओडून्द तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित आराजी सं. 479 रकबा 0.2000 480 रकबा 0.0900, 481 रकबा 0.1600, 482 रकबा 0.2000, 483 रकबा 0.5600, 484 रकबा 0.2500 485 रकबा 0.3000 कीता 7 कुल रकबा 1.7600 हे. के खातेदार है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRAct स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की मौजा मिश्रो की पिपली प.ह. ओडून्द तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित आराजी संख्या 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485 कीता 7 कुल रकबा 1.7600 हे. भूमि की बिना किसी के कब्जे मे दखलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्थरगढ़ी शुल्क 1500.00रु. अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपए प्रार्थीगण वहन करेंगे। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि पक्षकारान को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जांच एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>(श्याम सुन्दर बिश्नोई)<br>सहायक कलेक्टर एवं<br>उपखण्ड अधिकारी | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.08.06 12:22:37 IST
Reason: SelfAttested